



निजी और सरकारी स्कूलों को देना होगा ब्योरा

भोपाल. जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों का ब्योरा जुटाया जाएगा। कलेक्टर ने शुक्रवार को यह निर्देश जारी किए। कक्षा एक से 12 तक के सभी स्कूलों को अब डाइज प्रपत्र भरना होगा। यह प्रपत्र अब तक मिडिल स्कूल से ही भराए जाते थे। कलेक्टर निकुंज श्रीवास्तव ने स्कूलों

की 30 सितम्बर तक की स्थिति के आधार पर जानकारी जमा करने के निर्देश दिए। इसके तहत सरकारी, मान्यता प्राप्त निजी (शासकीय सहायत प्राप्त) मदरसा, संस्कृत शाला, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत संचालित शालाओं से एकत्रित की जाएगी।

इसलिए उपयोगी: शिक्षा सुविधा की उपलब्धता, छात्र संख्या, शिक्षकों की संख्या, शाला भवन, शिक्षण कक्ष, वित्तीय जानकारी एवं शाला में मूलभूत सुविधाओं की जानकारी शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए अत्यन्त आवश्यक है तथा डाइज डाटा के आधार पर ही वार्षिक कार्ययोजना बनाई जाती है।

भोपाल

शनिवार 1 दिसंबर 2012

वर्ष 8 अंक 273

पृष्ठ 16+4-20

मूल्य ₹ 2.00

सच कहने का साहस और सलीका

राज एक्सप्रेस

■ भोपाल ■ इंदौर ■ जबलपुर ■ ग्वालियर ■ रतलाम ■ रीवा ■ सतना ■ छिंदवाड़ा ■ उज्जैन ■ सागर

प्राचार्यों को भरनी होगी डाइज में सही जानकारी

करना होगा आदेशों का पालन

■ राज न्यूज नेटवर्क

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक से 15 दिसंबर तक डाइज पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत प्राचार्यों को डाइज प्रपत्र में शालाओं की सही जानकारी भरकर देना होगी। इस प्रकार के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं। इसके लिए सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है।

कलेक्टर ने कहा कि डाइज पखवाड़ा के दौरान प्रशिक्षण एवं यू-डाइज प्रपत्रों को गंभीरता से लें। प्रपत्रों में सही जानकारी यू-डाइज प्रपत्र में भरें, ताकि सही जानकारी के आधार पर उपलब्ध सुविधाओं का विश्लेषण किया जा सके साथ ही जिले की कार्ययोजना बनाकर शासन को समय सीमा में भेजी जा सके। कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने कहा कि

स्कूल शिक्षा विभाग आज से मनाएगा पखवाड़ा

जिले में कक्षा एक से 12 तक संचालित होने वाली समस्त शालाओं की जानकारी 30 सितंबर की स्थिति यू-डाइज प्रपत्र में एकत्र की जायेगी। डाइज प्रपत्र में भरी जाने वाली यह जानकारी समस्त शासकीय, मान्यता प्राप्त निजी (शासकीय सहायत प्राप्त एवं शासकीय सहायता प्राप्त) मदरसा, संस्कृत शाला, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय के अंतर्गत संचालित शालाओं से एकत्रित की जायेगी। गत वर्षों में डाइज केवल कक्षा एक से 8 तक संचालित

शालाओं में भरा जाता था, किन्तु अब यह डाइज प्रपत्र कक्षा 12 तक भरवाया जायेगा। डाइज प्रपत्र में भरी जाने वाली यह जानकारी कम्प्यूटर में यूनीफाइड डाइज साफ्टवेयर के माध्यम से संकलित की जाकर राज्य शिक्षा केन्द्र के माध्यम से भारत सरकार को भेजी जायेगी। संकलित जानकारी के आधार पर जिले में शिक्षा सुविधा की उपलब्धता, छात्र-शिक्षक संख्या, शाला भवन, शिक्षण कक्ष, वित्तीय जानकारी एवं शाला में मूलभूत सुविधाओं (जैसे श्यामपट, पेयजल, खेल मैदान, शौचालय, आदि) की जानकारी शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है तथा डाइज डाटा के आधार पर ही वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण किया जाता है।



भोपाल
शनिवार 1 दिसंबर 2012
आपका जूना 3 पन्ना 2000 प्रति 1954
वर्ग से 1 से 2000 1 पन्ना संख्या
कीमत ₹ 2.00
कुल पृष्ठ 18+4+22=44 (एडीए संख्या)

नवदुनिया

www.navidunia.com

भोपाल (नवदुनिया), इंदौर, जबलपुर, मन्डला, गण्डा और किलासपुर से एकलव्य प्रकाशन

आज के अंक के पन्ना



जो दुरुस्त है उसकी मरम्मत क्यों? » 08

पहले दिन वाका में गिरे 12 विकेट » 17

स्टैंडअप

गोबर बाजार » बीसेबल 19339.90 + 168.99 » निफ्टी 5879.85 + 54.85 • दिल्ली सराफा » सोना 32100 - 840 » चांदी 62800 + 800 • मुद्रा बाजार » डॉलर 54.26 - 0.58 » पौरे 87.09 - 0.74

प्रशिक्षण में नहीं आने पर प्राचार्यों पर होगी कार्रवाई

भोपाल(नव)। स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए 1 से 15 दिसंबर तक डाइज पखवाड़ा मनाया जाएगा।

इस बार 12वीं कक्षा तक के स्कूलों के प्राचार्यों और प्रधानाध्यापकों को डाइज प्रपत्र भरने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें अनुपस्थित रहने वालों के खिलाफ

» डाइज पखवाड़े के संबंध में कलेक्टर ने दिए निर्देश

शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को यह निर्देश जारी किए। उन्होंने

कक्षा एक से 12वीं तक की शिक्षण संस्थाओं के प्रभारी अधिकारी, प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि वे प्रशिक्षण और डाइज प्रपत्रों को गंभीरता से लें। प्रपत्रों में सही-सही जानकारी भरें, ताकि उसके आधार पर उपलब्ध सुविधाओं का विश्लेषण किया जा सके और जिले की

कार्ययोजना बनाकर शासन को समय सीमा में भेजी जा सके। कलेक्टर ने बताया कि डाइज प्रपत्र में भरी जाने वाली यह जानकारी कम्प्यूटर में यूनीफाइड डाइज साफ्टवेयर के माध्यम से संकलित की जाकर राज्य शिक्षा केन्द्र के माध्यम से भारत सरकार को भेजी जाएगी।

ट्रेनिंग में शामिल हों, वरना कार्रवाई

डाइज प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए कलेक्टर ने दी चेतावनी

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल

जिले में डाइज पखवाड़ा 1 से 15 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर निकुंज श्रीवास्तव ने कक्षा 1 से 12 तक संचालित सरकारी स्कूलों के प्रधान अध्यापक व प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि वे प्रशिक्षण में निर्धारित समय पर उपस्थित हों, अनुपस्थित होने की दशा में आरटीई एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यू-डाइज प्रपत्रों को गंभीरता से लें एवं सही-सही जानकारी प्रपत्र में भरें, ताकि सही जानकारी के आधार पर जिले की कार्ययोजना शासन को भेजी जा सके।

कलेक्टर निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में कक्षा 1 से 12 तक समस्त शालाओं की जानकारी 30 सितंबर की स्थिति में यू-डाइज



(यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफोर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन) प्रपत्र में एकत्र की जाएगी। डाइज प्रपत्र में भरी जाने वाली यह जानकारी समस्त शासकीय, मान्यता प्राप्त निजी (शासकीय सहायता प्राप्त एवं गैर शासकीय सहायता प्राप्त) मदरसा, संस्कृत शाला, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत संचालित शालाओं से एकत्रित की जाएगी।

अब 12वीं तक के लिए प्रपत्र अनिवार्य

डाइज प्रपत्र पहली से 8वीं तक की शालाओं में भरा जाता था, पर अब यह 12वीं तक भरवाया जाएगा। प्रपत्रों में भरी जाने वाली जानकारी कंप्यूटर में यूनिफाइड डाइज सॉफ्टवेयर में संकलित होगी, जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा भारत सरकार को भेजी जाएगी। इसके आधार पर जिले में शिक्षा सुविधा की उपलब्धता, छात्र संख्या, शिक्षकों की संख्या, शाला भवन, शिक्षण कक्ष, वित्तीय जानकारी और शाला में मूलभूत सुविधाओं की जानकारी शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए आवश्यक है।